

फर्द अहकाम

(नियम 20)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)

परगी उर्फ परमेश्वरी बनाम् अर्जनराम

प्रकरण अन्तर्गत धारा- अपील इंतकाल

प्रकरण सं.-114 /2025

जी.सी.एम.एस. नं.-2095/213

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	जारी तामिल का नम्बर / दिनांक
17/10/25	आज यह अपील अपीलाण्टस ने जरिए अधिवक्ता श्री रविन्द्र कुमार बलाना द्वारा पेश हुई। प्रकरण के संबंध में रेस्पोंडेंटस सं.-4 शंकर लाल की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल कुमार गक्खड़ द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148 ए सीपीसी पेश किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें एवं शेष रेस्पोंडेंटस को जरिए रजि. डाक से प्रकरण की सुनवाई हेतु सूचित किया जावें। पत्रावली आईन्दा दिनांक 25.11.2025 को पेश हो।	
25/11/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। आज बार संघ द्वारा कार्य स्थगित रखा गया। पी.ओ.साहब अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त। पत्रावली आईन्दा दिनांक 22/12/25 को पेश हो।	
23/12/25	पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील ल श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त।	
22/1/26	पत्रावली लखड़ा गरीब अपील	
26/2/26	अपिलवा गार्ह लली सिनां	
16/2/26	आज यह पत्रावली गरीब अपीलवा	
	द्वारा राजीनामा पेश करने पर	
	पेशा में ही गरीब वकील अपीलवा	
	ने निर्बन्ध किया कि आवीपण डा	
	रेस्पोंडेंट से राजीनामा हो गया	



Handwritten signature and initials in blue ink, including a date '18/11/25'.

तथा प्राचीन जजदारा वध चलाना
 पाहवी हे मत: प्रतीलाब्ध ३
 राजीनामा ३ साधारण पर सील
 स्थापित की जाती है पत्रावली
 गिन्यानुसार पारिवर्त इक्टर देख
 की गणना से इन दो

सुरेश राव
 उपखण्ड अधिकारी
 अनुपगढ़